भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2624**
**19 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ**

**विषयः सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान**

**2624. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः**
**श्री राहुल रमेश शेवालेः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के व्यापक आर्थिक विकास के साथ हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का आर्थिक योगदान लगातार घट रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;
(ख) क्या वर्तमान कृषि पद्धतियां न तो आर्थिक रूप से और न ही पर्यावरणीय रूप से संधारणीय हैं और अनेक कृषि वस्तुओं में भारत की पैदावार कम है और यदि हां,तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या खराब सिंचाई प्रणालियों और अच्छी विस्तार सेवाओं की लगभग सार्वभौमिक कमी इसके लिए जिम्मेदार कारकों में से हैं;
(घ) क्या खराब सड़कों, अल्पविकसित बाजार अवसंरचना और अत्यधिक विनियमन के कारण किसानों की बाजारों तक पहुंच बाधित होती है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में अब तक क्या सफलता मिली है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री**
**(श्री अर्जुन मुंडा)**

(क) 1990-91 से 2022-23 तक अर्थव्यवस्था के कुल जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी** |
|---|---|
| 1990-91 | 35 |
| 2000-01 | 26 |
| 2010-11 | 18 |
| 2020-21 | 16 |
| 2022-23 | 15 |

अर्थव्यवस्था के कुल सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि की हिस्सेदारी 1990-91 में 35% से घटकर 2022-23 में 15% हो गई है। यह गिरावट कृषि जीवीए में गिरावट से नहीं बल्कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र जीवीए में तेजी से विस्तार के कारण है। वृद्धि के संदर्भ में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 4% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है।

(ख) से (ङ) सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, संसाधन उपयोग दक्षता बढ़ाने, सतत् कृषि को बढ़ावा देने, अवसंरचना को सुदृढ़ करने, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया/कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:

**1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**

2019 में पीएम-किसान की शुरूआत - एक आय सहायता योजना जो 6000 रुपये प्रति वर्ष 3 समान किश्तों में प्रदान करती है। 30.11.2023 तक **11 करोड़** से अधिक किसानों को **2.81 लाख करोड़** रुपये से अधिक जारी किए जा चुके हैं।

**2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने के लिए 2016 में शुरु गया था। कार्यान्वयन के पिछले 7 वर्षों में - 49.44 करोड़ किसान आवेदन पंजीकृत हुए और 14.06 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जिसके विरुद्ध उन्हें 1,46,664 करोड़ (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए उन्हें लगभग 502 रु. दावे के रूप में प्राप्त हुए।

**डिजीक्लेम-** दावों की गणना और भुगतान में पारदर्शिता के लिए, दावों की गणना और इन दावों को सीधे किसान के खाते में अंतरित करने के लिए, दावे का भुगतान मॉड्यूल पीएफएमएस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से किया जा रहा है। यह पहल खरीफ 2022 मौसम और उसके बाद के दावों के कार्यान्वयन के लिए 23 मार्च, 2023 को शुरू की गई है। सभी दावों का भुगतान अब बीमा कंपनियों द्वारा डिजीक्लेम के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।

**3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण**

i. 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 2022-23 में 21.55 लाख करोड़ रु. हो गया।
ii. केसीसी के माध्यम से 4% प्रति वर्ष ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया है।
iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को शामिल करने पर ध्यान देने के साथ रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। 20-10-2023 तक अभियान के हिस्से के रूप में 5,47,819 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ, 482.73 लाख नए केसीसी आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

**4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करना**

i. सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है।
ii. धान (सामान्य) के लिए एमएसपी 2013-14 में 1,310 रु. प्रति क्विंटल से बढ़कर 2023-24 में 2,183 रुपये प्रति क्विंटल हो गई।
iii. गेहूं के लिए एमएसपी 2013-14 में 1,400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2023-24 में 2,275 रु. प्रति क्विंटल हो गई।

**5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना**

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32,384 क्लस्टर बनाए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है,

जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और प्राकृतिक खेती के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया।

ii. सरकार भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखती है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित तथा स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। 189039 किसानों को शामिल करके 1,72,966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

**6. पर ड्रोप मोर क्रोप:**

पर ड्रोप मोर क्रोप (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि, आदान लागत को कम करना और कृषि स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से पीडीएमसी योजना के माध्यम से अब तक 81.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है और 18,893.74 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई हैं।

**7. सूक्ष्म सिंचाई निधि:**

नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। 2021-22 की बजट घोषणा में फंड का कोष बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये किया जाना है। अब तक 4,710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

**8. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देना**

i. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 फरवरी, 2020 को 2027-28 तक 6,865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई।

ii. 31.10.2023 तक 7,476 एफपीओ को नई एफपीओ योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

iii. 2,663 एफपीओ को 113.68 करोड़ रुपये का इक्विटी अनुदान जारी किया गया हैं।

iv. 918 एफपीओ को 213.82 करोड़ रु. का क्रेडिट गारंटी कवर जारी किया गया।

**9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)** को 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 2020-21 से 2022-23, के लिए 500.00 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ शुरू किया गया था और योजना को अगले तीन वर्षों के लिए अर्थात् 2023-24 से 2025-26 तक 370.00 रुपये के शेष उपलब्ध बजट जो कि 500.00 करोड़ रुपये के आवंटित बजट से वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास तथा "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है।

**10. कृषि मशीनीकरण:**

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों से जुडें कठिन परिश्रम को कम करने के लिए कृषि मशीनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2014-15 से मार्च, 2023 तक की अवधि के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए 6405.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को सब्सिडी पर 15,23,650 मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को, किराये के आधार पर, कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 23,018 कस्टम हायरिंग सेंटर, 475 हाई-टेक हब और 20,461 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। 2023-24 के दौरान, कृषि मशीनरी के वितरण के लिए 37937, कृषि मशीनरी, 1916 कस्टम हायरिंग सेंटर, 41 हाई-टेक सेंटर और 82 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु राज्यों को 252.39 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

**11. नमो ड्रोन दीदी:**

सरकार ने हाल ही में 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी स्वीकृति दी है। इस योजना का लक्ष्य कृषि प्रयोजन (उर्वरकों और कीटनाशकों के अनुप्रयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। कुल 15,000 ड्रोनों में से, पहले 500 ड्रोन 2023-24 में अग्रणी उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) द्वारा चयनित एसएचजी को वितरण के लिए अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके खरीदे जाएंगे। शेष 14500 ड्रोन इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे और ड्रोन की लागत का 80% और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क अधिकतम रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ड्रोन की खरीद के लिए महिला एसएचजी को 8.0 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। एसएचजी के समूह स्तरीय संघ (सीएलएफ) राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तीय सुविधा (एआईएफ) के तहत ऋण के रूप में शेष राशि (खरीद की कुल लागत में सब्सिडी घटाकर) बढ़ा सकते हैं। सीएलएफ को एआईएफ ऋण पर 3% की दर से ब्याज छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना किसानों के लाभ के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और संचालन की कम लागत के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी। यह योजना एसएचजी को सतत व्यवसाय और आजीविका सहायता भी प्रदान करेगी और वे कम से कम 1.0 लाख रूपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

**12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना:**

वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पोषक तत्वों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं:

i. चक्र-I (2015 से 2017)-10.74 करोड़
ii. चक्र-II (2017 से 2019)-12.19 करोड़
iii. आदर्श ग्राम कार्यक्रम (2019-20)-23.71 लाख
iv. वर्ष 2020-21 में -11.52 लाख

**13. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) विस्तार मंच की स्थापना**

(i) ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1388 मंडियों को जोड़ा गया हैं। 27 अतिरिक्त मंडियों को ई-एनएएम के साथ जोड़ा गया है जिसमें जम्मू-कश्मीर (6), मध्य प्रदेश (3) महाराष्ट्र, (14) उत्तराखंड (4) शामिल हैं।

(ii) 31 अक्टूबर 2023 तक, 1.76 करोड़ किसानों और 2,49,903 व्यापारियों को ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। 8.47 करोड़ मीट्रिक टन और 29.25 करोड़ संख्या के (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) की कुल मात्रा जिसका कुल मूल्य लगभग 2.98 लाख करोड़ रूपये है, का व्यापार ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया गया है।

**14. खाद्य तेलों-ऑयल पाम के लिए राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ**

एक नई केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) अगस्त, 2021 के दौरान शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, सीपीओ उत्पादन और खाद्य तेल पर आयात का बोझ कम करना है। मिशन ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र आएगा, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 हेक्टेयर का क्षेत्र आएगा। जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रूपये का कुल परिव्यय होगा।

**15. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ):**

एक लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने और देश में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कृषि अवसंरचना निधि के तहत ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता प्रदान की जा रही है।

**16. कृषि उपज रसद में सुधार, किसान रेल की शुरूआत**

किसान रेल विशेष रूप से खराब होने वाली कृषि-बागवानी जिन्सों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई 2020 में शुरू की गई थी। 28 फरवरी, 2023 तक 167 मार्गों पर 2359 सेवाएं संचालित की गई हैं।

**17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:**

2014-15 से 2023-24 तक (31.10.2023 तक) एमआईडीएच की एनएचएम/एचएमएनईएच योजना के प्रमुख घटकों के तहत वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- क्षेत्र विस्तार:- चिन्हित बागवानी फसलों के 12.95 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- नर्सरी:- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए 872 नर्सरीयाँ स्थापित की गई हैं।
- कायाकल्प:- पुराने और जरा-जीर्ण बगीचों के 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है।
- जैविक खेती:- जैविक पद्धतियों के अंतर्गत 52069 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है।
- संरक्षित खेती:- संरक्षित खेती के अंतर्गत 3.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र शामिल किया गया है।
- जल संसाधन:- 49979 जल संचयन संरचनाएं बनाई गई हैं।
- मधुमक्खी पालन:- 15.93 लाख छत्तों वाली मधुमक्खी कालोनियों का वितरण किया गया है।
- बागवानी मशीनीकरण:-2.60 लाख बागवानी मशीनीकरण उपकरण वितरित किए गए हैं।
- कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना:- 1.14 लाख फसलोत्तर इकाइयां स्थापित की गई हैं।
- बाजार अवसंरचना:- 14349 बाजार अवसंरचनाएं स्थापित की गई हैं।
- किसानों का प्रशिक्षण:- एचआरडी के तहत 9.11 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी गतिविधियों के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

**18. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इको सिस्टम का निर्माण**

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न ज्ञान सहभागियों (केपी) और इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआई) द्वारा 1259 स्टार्ट-अप का चयन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत इन स्टार्ट-अप को वित्त पोषित करने के लिए संबंधित केपी और आर-एबीआई को किश्तों में अनुदान के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

**19. कृषि एवं संबद्ध कृषि जिन्सों के निर्यात में उपलब्धि**

देश में कृषि और संबद्ध जिन्सों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2020-21 की तुलना में कृषि एवं संबद्ध निर्यात 2020-21 में **41.86** बिलियन यूएसडी से बढ़कर 2021-22 में **50.24** बिलियन यूएसडी हो गया है अर्थात **19.99%** की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, डीएआरई, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक हिस्सा है, ने ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनसे किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

(आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ाने वाले असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है।

2022-23 में देश में किसान कल्याण पर व्यय कई गुना बढ़ गया है अर्थात् अकेले इसी वर्ष 6.5 लाख करोड़ व्यय किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर 2022-23 के दौरान संशोधित अनुमान के अनुसार खर्च का विवरण निम्नानुसार है:

| **व्यय की मदें** | **राशि (रूपये करोड़ में)** |
|---|---|
| उर्वरक सब्सिडी | 225220 |
| भोजन सब्सिडी | 287194 |
| कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ (पीएम-किसान के अलावा) | 6279 |
| पीएम-किसान | 60000 |
| कुल | 648693 |

*संशोधित अनुमान 2022-23

******